

अंचल अधिकारी निरसा का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 134/2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- लखवाड़ा, थाना- 165, खाता संख्या- 27, प्लॉट संख्या-
..... रकबा-..... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- I के पृष्ठ संख्या- 44, पर जमाबंदी रैयत पिमारी झोहन रात के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित गूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 22.7.16 को उपस्थापित करें।


लेखापित एवं संशोधित
अंचल अधिकारी

निरसा
अंचल अधिकारी
15.7.16

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
07.11.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-27/11/2020 को उपस्थापित करें।</p>	
27.11.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। नोटिस के आलोक में जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज के द्वारा कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य निर्धारित तिथि तक समर्पित नहीं किया गया है। राजस्व कर्मचारी को अंचल निरीक्षक माध्यम से अनुशंसा सहित एक सप्ताह अन्दर जाँच प्रतिवेदन की माँग करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-04/12/2020 को उपस्थापित करें।</p>	
04.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>राजस्व कर्मचारी के द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। इनके द्वारा विभागीय पत्रांक-1704/रा0 दिनांक-15.07.2020 के आलोक प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-<u>नयाडीह</u>, मौजा नं0-<u>165</u>, खाता सं0-<u>24</u> गत् सर्वे खतियान में गैर आबाद/सर्वसाधारण दर्जा है। पंजी-11 के भोल्युम सं0-<u>01</u> के पृष्ठ सं0-<u>11</u> पर <u>प्यारी मीरन चौबे</u> के नाम से जमाबंदी कायम है। परन्तु उक्त जमाबंदी में प्लॉट सं0 एवं रकवा का उल्लेख नहीं है। फलतः हाल सर्वे खतियान से मिलान करना संभव नहीं है। प्राधिकार कॉलम में किसी भी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। जमाबंदी रैयत सामान्य जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं भूमिहीन की श्रेणी (2 एकड़ घर) में नहीं आते हैं।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के तहत पंजी-II में <u>प्यारी मीरन चौबे</u> के नाम से अवैध रूप से कायम जमाबंदी संख्या-<u>11</u> को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।</p>	


अंचल अधिकारी,
निरसा।


अंचल अधिकारी,
निरसा।


अंचल अधिकारी,
निरसा।